न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / सीलिंग / 4916 / 2004 / जिला पाली

1– श्रीमती दौली पत्नि भैराराम
2– प्रभूराम पुत्र भैराराम
3– उम्मेदाराम पुत्र भैराराम
4– हिम्मताराम पुत्र भैराराम
5– उकी पुत्री भैराराम
6– जमु पुत्री भैराराम
समस्त जाति मीणा निवासी कोशेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार

..... प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलार्थीगण ।
श्री विजेन्द्र चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांकः– 20–02–2014

1– यह अपील राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 (संक्षेप में –1973 का अधिनियम') की धारा 23 (2ए) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली दिनांक 24–09–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है किः–

(1) अपीलार्थी संख्या–1 के पति व अन्य अपीलार्थीगण के पिता भैराराम के विरूद्ध राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1971 के तहत सीलिंग कार्यवाहीं की गई तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच उपरांत अपीलार्थी के

पास 126 बीधा 15 बिस्वा भूमि होना मानते हुये निर्णय दिनांक 15–07–1974 द्वारा सीलिंग कार्यवाहीं समाप्त की गई।

(2) राज्य सरकार के आदेश द्वारा 1973 के अधिनियम की धारा 15(1) के तहत शक्तियों को प्रयोग करते हुये प्रकरण पुनः खोला जाकर नये सिरे से जांच कर निर्णय पारित करने हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली को प्रेषित किया गया। प्रकरण पुनः खोले जाने के पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने दिनांक 04–08–1999 को आदेश पारित कर अपीलार्थी के पास 118 बीधा 10 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना मानते हुये भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये।

(3) अतिरिक्त कलेक्टर के उक्त आदेश दिनांक 04–08–1999 के विरुद्ध अपील राजस्व मंडल में प्रस्तुत किये जाने पर मंडल द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलार्थी संख्या–2 को 01–01–1973 को निर्धारती का बालिग पुत्र मानते हुये उसे अलग यूनिट का लाभ देते हुये पुनः निर्णय हेतु प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के यहां भिजवा दिया। अतिरिक्त कलेक्टर (सीलिंग), पाली ने निर्णय दिनांक 24–09–2004 (आलोच्य निर्णय) द्वारा अपीलार्थी के पास 22 बीधा चाही भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना मानते हुये उसे अधिग्रहण करने के आदेश प्रदान किये। अतिरिक्त कलेक्टर (सीलिंग), पाली के उक्त निर्णय दिनांक 24–09–2004 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मंडल में पेश की गई है।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहरात हुये बहस में कथन किया किः–

(1) कि अतिरिक्त कलेक्टर (सीलिंग), पाली ने अपीलार्थी द्वारा धारित कृषि भूमि को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा वाली भूमि मानते हुये सीलिंग प्रकरण निर्णित करने में गंभीर त्रुटि की है। अपीलार्थी के पास जो कृषि भूमि है उसमें से केवल 89 बीधा 15 बिस्वा भूमि चाही थी और 97 बीधा 4 बिस्वा सिंचित जवाई नहरी थी। इस प्रकार कुल 186 बीधा 19 बिस्वा भूमि 01–01–1973 को थी। निर्धारती एवं उसके पुत्र प्रभूराम, जो कि अलग यूनिट का पात्र है, दोनों मिलाकर 270 बीधा भूमि रखने के अधिकारी है जो सीलिंग सीमा से कम भूमि है।

(2) कि जवाई बांध की नहरी भूमि पर सिंचाई की सघनता की गणना राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण

नियम, 1973 के नियम 4–क व 5 (3) के अनुसार नहीं की गयी है। पिछले 30 वर्षो से जवाई बांध से कोई भूमि सिंचाई नहीं हो रही है।

(3) कि सीलिंग अधिनियम 1973 के साथ लगी अनुसूची में में ए, बी, सी, डी और ई पांच जोन या क्षेत्र है और सम्पूर्ण पाली जिला सेमी फरटाईल जोन में आता है। अर्द्ध–उपजाउ क्षेत्र के लिये सीलिंग अधिनियम, 1973 की गणना धारा 4–एफ के अनुसार 5 सदस्यों तक प्रत्येक परिवार के लिये 54 एकड अर्थात 135 बीधा भूमि रखने का अधिकारी है और इसी अनुपात व विधि के अनुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली को निर्णय पारित करना चाहिये था।

(4) कि निर्धारिती भैराराम के परिवार में कुल 8 सदस्य थ, किन्तु पटवारी की रिपोर्ट में 7 सदस्य बताये गये ळैं। एक बालिग सदस्य को अलग इकाई मान कर शेष 6 सदस्य थे। 5 सदस्य तक 54 एकड़ की सीमा व एक अतिरिक्त सदस्य के लिये 1/5 हिस्सा अतिरिक्त मान कर निर्णय किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया।

उपरोक्त तर्कों के साथ न्यायिक दृष्टान्त– RLW 2006 (2) RJ 818, RRT 2001 (1) 631, RRD 1976 508, RRT 2004 (1) 615, RLW 2006 (1) RJ 553 प्रस्तुत करते हुये विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली ने उक्तानुसार समस्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये अपना निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जावे एवं सीलिंग कार्यवाहीं समाप्त की जावे।

5– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने समस्त तथ्यों का सम्पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये निर्णय पारित किया है एवं अपीलार्थी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होना मानते हुये उसे अधिग्रहण करने के आदेश दिये है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगत नहीं होने से हस्तगत् अपील खारिज की जावे।

6– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय, अपील ज्ञापन के तथ्यों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली के पूर्व निर्णय दिनांक 04—08—1999 को अपास्त करके राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा प्रकरण वापिस भेजते समय निर्णय दिनांक 23—11—2002 में निम्न प्रकार मत (observations) प्रकट किया गया थाः—

"… it is clear that the lower court has not clearly dealt with the concept of family as defined in Section 2(f) and separate unit as defined under Section 2(m). It is nowhere written that the separate unit will be allowed only if the land is ancestral. On the contrary it is very clear in the Section 2(m) that a separate unit means an adult son. The lower court has quoted RRD 1989 page 410 in support of their finding, which nowhere says that adult son can be treated as separate unit only if the property is ancestral. This appears to be a complete misreading of the citation by the lower court. As per the provisions of the Act appellant Prabhu is entitled to be treated as a separate unit and be given necessary benefit in respect of the assessment for ceiling purposes. As far as the classification of land is concerned the lower court is entirely right in considering the land as under assured irrigation yielding single crop as per the reports placed before them.

In view of the above the appeal is accepted, the order dated 4-8-1999 of the lower court is hereby set aside and the matter is remanded to the court of Additional Collector (Ceiling), Pali to rehear the matter keeping in view of the observations made above and take a decision afresh."

इस प्रकार प्रतिप्रेषण के बाद न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (सीलिंग), पाली द्वारा विद्वान एकल पीठ द्वारा निर्णय दिनांक 23—11—2002 में व्यक्त अभिमत की रोशनी में ही नवीनतः निर्णय पारित करना था। उक्त निर्णय दिनांक 23—11—2002 में एकल पीठ द्वारा निम्न प्रकार 2 बिन्दुओं पर अपना अभिमत व्यक्त किया गया थाः—

(1) कि मूल निर्धारिति भैराराम के बालिग पुत्र प्रभू को अलग इकाई मान कर सीलिंग सीमा की गणना करनी है, अर्थात दो इकाइयों को आधार मान कर कुल धारण योग्य भूमि की गणना करनी है और उसके बाद अधिशेष भूमि है या नहीं, यह विनिश्चयन करना है।

(2) कि न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 04—08—1999 में भूमि को साल में एक फसल उगाने योग्य सुनिश्चित सिंचित भूमि मानने का जो निर्णय किया गया है वह सही है।

8— इस प्रकार आलोच्य निर्णय दिनांक 24—09—2004 पारित करते समय अतिरिक्त कलेक्टर (सीलिंग), पाली के पास यह निर्णय पुनःश्च करने का क्षेत्राधिकार नहीं था कि वादग्रस्त भूमि साल में एक फसल उगाने की क्षमता वाली सुनिश्चित सिंचित भूमि है या नहीं। अर्थात अपीलार्थी के पास उपलब्ध कुल 186 बीघा 19 बिस्वा भूमि अधिनियम, 1973 की धारा 4 (ख) में वर्णित "land under assured irrigation capable of growing at least one crop in years" श्रेणी की भूमि है और ऐसी भूमि पर एक इकाई के लिये कुल सीलिंग सीमा 27 एकड़ है। विद्वान एकल पीठ द्वारा इस बिन्दु पर अपने निर्णय दिनांक 23—11—2002 में व्यक्त अभिमत के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा कभी भी किसी सक्षम मंच के समक्ष कोई आपत्ति / अपील / रिट आदि प्रस्तुत नहीं की गयी है, अतः यह बिन्दु अन्तिम रुप से निर्णीत हो चुका है कि अपीलार्थी की कुल 186 बीघा 19 बिस्वा भूमि साल में एक फसल उगाने की क्षमता वाली सुनिश्चित सिंचित भूमि (land under assured irrigation capable of growing at least one crop in years) है और एक इकाई के लिये अनुमत्त सीलिंग सीमा 27 एकड़ है न कि 54 एकड़, जैसा कि विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपने अपील ज्ञापन में व हमारे समक्ष दौराने बहस आधार लिया गया है।

9— विद्वान अभिभाषक का एक तर्क यह है कि सम्पूर्ण पाली जिला अर्द्ध—उपजाउ क्षेत्र (semi-fertile zone) में आता है जिसके लिये एक इकाई की सीलिंग सीमा 54 एकड़ है। इस तर्क के परीक्षण के लिये मैने 1973 के अधिनियम की धारा 4 का गहन अवलोकन किया है। उक्त धारा 4 (1) के उपबन्ध (ई) में प्रावधान है कि जो भूमि धारा 4 (1) के उपबन्ध (ए) से (डी) की श्रेणी में नहीं है और अर्द्ध—उपजाउ क्षेत्र में है तो सीलिंग सीमा 54 एकड़ होगी। जैसा कि पूर्व में मत व्यक्त किया जा चुका है, राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा निर्णय दिनांक 23—11—2002 में अंकित यह अभिमत अन्तिम है कि हस्तगत प्रकरण की भूमि धारा 4 (1) के उपबन्ध (बी) में यथा वर्णित श्रेणी की भूमि है, अर्थात प्रति इकाई सीलिंग सीमा 27 एकड़ ही लागू होगी। अतः विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा इस बिन्दु पर प्रस्तुत तर्क स्वीकार्य नहीं है।

10— परिवार में कुल सदस्य संख्या 6 मान कर पूर्व निर्णय दिनांक 04—08—1999 किया गया था और उक्त निर्णय की अपील होने पर राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23—11—2002 में कोई दखल नहीं दिया गया है तथा अतिरिक्त कलेक्टर (सीलिंग), पाली के वर्तमान आलोच्य निर्णय दिनांक 24—09—2004 के अवलोकन से भी यह

जाहिर आता है कि एक बालिग सदस्य सहित कुल 6 सदस्य के बिन्दु को अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष भी चुनौती नहीं दी गयी है। अतः अब अपील के दौराने इस तथ्यात्मक बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह नवीन तर्क स्वीकार्य नहीं है कि अपीलार्थी के परिवार में बालिग पुत्र प्रभुराम सहित 7 या अधिक सदस्य थे।

11— अन्त में विद्वान अभिभाषक द्वारा पूर्व अनुच्छेद 4 में यथा अंकित न्यायिक दृष्टान्तों के समर्थन से यह तर्क किया गया है कि अतिरिक्त कलेक्टर (सीलिंग), पाली द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करते समय अधिनियम, 1973 के तहत बने राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 के नियम 4—क व नियम 5 के प्रावधानानुसार सिंचाई की सघनता की जांच करके भूमि की गणना नहीं की है। आलोच्य निर्णय दिनांक 24—09—2004 में यह निष्कर्षांकन किया गया है कि— **''नये कानून की धारा 4 व 5 के तहत गणना करने पर यह स्पष्ट है कि चाही (89—15 बीघा) 35—90 एकड़, जवाई (नहरी) (97—04 बीघा) 38—88 एकड़ धारित करता था, अतः चाही भूमि को भी एक फसली एश्योर्ड़ भूमि में 27:48 के अनुपात में परिवर्तित करने पर 20—19 एकड़ होते हैं। जिससे 38—88 + 20—19 अर्थात 59—07 एकड़ होते हैं।**'' इस प्रकार विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा चाही भूमि को तो 27:48 के अनुपात से परिवर्तित करके 89—15 बीघा को 20—19 बीघा सुनिश्चित सिंचित भूमि के समतुल्य गणना किया गया है, किन्तु जवाई नहरी भूमि को 100 प्रतिशत सिंचाई सघनता मान कर गणना की गयी है। ऐसी गणना करते समय यह नहीं देखा गया कि जवाई नहरी भूमि पर उपलब्ध सिंचाई की सघनता (density of irrigation) कितना प्रतिशत है। 1973 के सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये 1973 के सीलिंग नियमों का नियम 5 (3) निम्न प्रकार हैः—

"Rule-5. Verification of the returns.-

(1) xxxxxxxxxx

(a)xxxxx

(b)xxxxx

(c)xxxxx

(2) xxxxxxxxx

(3) The Authorised Officer shall, on receipt of the report from the committee and after such further enquiry as he may deem necessary to make from other sources including from the Irrigation Department of the Government, determine the question whether any land is assured of irrigation from Government or private source capable of growing two crops or one crop in a year or not in the following manner:-

(a) Where the land fall within the command area of a major irrigation project the aforesaid question shall be decided on the basis of the extent of intensity of irrigation available to the land in the year immediately preceding the year in which the question is required to be decided. The land to the extent of irrigation intensity shall be deemed to be the land having assured irrigation of growing two crops or one crop in a year as the case may be and the rest of the land shall be deemed to be dry land.

Provided that where the land has not been irrigated in the year immediately preceding the year in which the question is required to be decided and is ready for irrigation or has been irrigated in the current year, the intensity of irrigation shall be calculated as per designed irrigation available to the land.

Illustarions:

I. Assuming the intensity of irrigation of land within a major irrigation project area as 75% and the area of the land held by a person in such area as 100 acres, 75 acres of land shall be deemed to be land having assured irrigation capable of growing one crop in a year and rest shall be deemed to be dry land.

II. Assuming the intensity of irrigation of land within a major irrigation project area as 15% and the area of the land held by a person in such area as 100 acres, 50% area of land shall be deemed to be land having assured irrigation capable of growing two crops in a year and rest of the land shall be deemed as having assured irrigation capable of growing one crop in a year.

(b) Where the land is irrigated from a minor or medium irrigation project or from other Government source or from lift irrigation from a perennial source, only that area of land which has actually grown two crops or one crop in a year during two years out of the preceding three years shall respectively be deemed to be land having assured irrigation capable of growing two crops or one crop in a year.

(c) Land not falling within sub-clause (a) or sub-clause (b) shall be deemed to be dry land."

आलोच्य निर्णय दिनांक 24–09–2004 के अवलोकन से यह जाहिर है कि विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर (सीलिंग), पाली द्वारा 1973 के सीलिंग नियमों के नियम 5 (3) अनुसार कार्यवाही व परीक्षण नहीं किया गया है। भूमि की सिंचाई सघनता की अधिकृत जानकारी प्राप्त

करके उसके अनुसार धारण भूमि की किस्म को निम्नतर से उच्च श्रेणी की भूमि में सम्परिवर्तित करते हुये नियम 5 (3) अनुसार गणना करनी चाहिये थी, जो नहीं की गयी है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त– RLW 2006 (2) RJ 818 में मदनलाल बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 के नियम 4–क व नियम 5 के अनुसार सीलिंग सीमा के अवधारण की गणना नहीं करना व गणना के आधार का खुलासा नहीं करना त्रुटिपूर्ण है। राजस्व मण्डल द्वारा भी मु0राम कंवरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के प्रकरण 1985 RRD 143 और मनफूल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के प्रकरण 1991 RRD 106 में इसी प्रकार का प्रतिपादन किया गया है।

12– उपरोक्त अनुच्छेद 11 में अंकित विवेचन के आधार पर मेरा यह सुविचारित निष्कर्ष है कि आलोच्य निर्णय पारित करते समय विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर (सीलिंग), पाली द्वारा 1973 के सीलिंग नियमों के नियम 5 (3) के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं करके प्रक्रियात्मक व तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है जिससे सीलिंग सीमा के अन्तर्गत रहते हुये धारण योग्य भूमि की सही गणना नहीं की गयी है और इस त्रुटि के आधार पर हस्तगत अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर प्रकरण वापिस अधीनस्थ न्यायालय को भेजे जाने योग्य है।

13– परिणामतः हस्तगत अपील को आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है और न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (सीलिंग), पाली द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 5/2003 में पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 24–09–2004 को एतदद्वारा अपास्त करते हुये प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर (सीलिंग), पाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त अनुच्छेद 11 में उद्धृत विधिक प्रावधानों और इस न्यायालय द्वारा व्यक्त अभिमत अनुसार प्रकरण की पुनः जांच करके नवीनतः निर्णय पारित किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य